POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 13-09-2024

1.थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर कम्पनी से दो करोड़ रूपयों की ठगी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 13.09.2024 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व बीट पुलिसिंग की सहायता से मु0अ0सं0 82/24 धारा 420/406/504/506/467/468/469/471/472/120बी भादवि थाना कासना में वांछित अभियुक्त मुकेश खत्री पुत्र नरेन्द्र को सेक्टर बीटा-2 से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का विवरण-- अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। मैसर्स नेक्स जैन एनर्जिया प्रा0लि0 सेक्टर-63, नोएडा जो बायो डिजल/सीबीजी (कम्प्रैस्ड) बायों गैस के पम्प खोलने के लिये लाईसेन्स देती है, अभियुक्त मुकेश द्वारा इस कम्पनी से लाईसेन्स लेने के लिये आवेदन किया गया था और पीएनबी बैंक जिन्द, हरियाणा से लोन लेने के लिये कम्पनी के लैटर पैड पर फर्जी पत्र तैयार कर मार्जिन मनी प्राप्त होने पर बैंक में दाखिल कर दो करोड़ रूपये का लोन पास करा लिया गया था और कम्पनी के साथ धोखाधडी करके कम्पनी को मार्जिन मनी में दिये गये चैक को बाउन्स करा दिया गया था। कम्पनी के सेल्स डायरेक्टर उत्कर्ष गुप्ता के साथ षडयन्त्र रचकर कम्पनी के बायस का डाटा चोरी कर उत्कर्ष गुप्ता द्वारा गुरूवर रिनूवल एनर्जी नाम से अपनी कम्पनी खोल ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में संजय दूबे डायरेक्टर मैसर्स नेक्स जैन एनर्जिया प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 28.03.2024 को मु0अ0सं0 82/24 धारा 420/406/504/506/467/468/469/471/472/120बी भादवि व 66बी/66सी/66डी आईटी एक्ट थाना कासना पर पंजीकृत करा गया था जिसकी विवेचना उच्चाधिकारीगणों के आदेश से थाना बीटा-2 से सम्पादित की जा रही थी।

अभियुक्त का विवरण--

1. मुकेश खत्री पुत्र नरेन्द्र निवासी चुंगी वाली गली मौहल्ला जटवाडा, थाना सदर, जिला सोनीपत, हरियाणा।

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 82/24 धारा 420/406/504/506/467/468/469/471/472/120बी भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

2. थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल एप्पलीकेशन के माध्यम से भोले-भाले लोगो से एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर एवं उनको बुलाकर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसे लेने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद।

घटना का विवरण-- थाना फेस-2 पर वादी द्वारा अभियुक्त किशोर व दीपक के विरूद्ध वादी का अश्लील वीडियो बनाकर 30,000 रूपये व सोने का हार मांगने व न देने पर वादी को जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 421/2024 धारा 308(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। घटना के बाद से अभियुक्त किशोर व दीपक फरार चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **13.09.2024** को **थाना फेस-2** पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से अभियुक्त 1.किशोर व 2.दीपक को थाना फेस-2 क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक स्पलैण्डर मोटरसाइकिल रजि0नं0 यूपी 16 डीजेड 3796 व 02 मोबाइल फोन बरामद हुये है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम लोगों को टारगेट करके उनसे संपर्क स्थापित कर उनकी अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उन लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा का भय दिखाकर ब्लैकमेल करते है। इसी तरह की घटना को अन्य कई दर्जन लोगों के साथ कर चुके है और उनसे लाखो रूपये वसूल चुके है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त Blued app और Grindr पर स्वाइप कर प्रीमियम प्रोफाइल बनाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आकर्षित हों और ग्राहकों को सामाजिक प्रतिष्ठा का भय दिखाकर उनका धन दोहन

करते थे और धन में कैश और मूल्यवान प्रतिभूत ही लेते थे ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पकड़े जाने का खतरा न हो।

अभियुक्तों का विवरण--

1. किशोर पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम बड़गांव, थाना अरनिया, जिला बुलंदशहर उम्र 22 वर्ष।
2. दीपक पुत्र संजय कुमार निवासी राजीव कॉलोनी, सालारपुर, थाना सेक्टर-39 नोएडा उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. एक स्पलैण्डर मोटरसाइकिल रजि0नं0 यूपी 16 डीजेड 3796
2. 02 मोबाइल फोन

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 421/2024 धारा 308(4) बीएनएस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।